समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों की कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने की समीक्षा

स्वच्छता संबंधी शिकायत के लिये नागरिक स्वच्छता एप या 14420 का करे उपयोग

प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जायसवाल निलंबित

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को उच्चतम् रैंक दिलाने हेतु सर्वेक्षण के प्रत्येक मापदण्डों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर स्वच्छता हेतु कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरवरी माह में की गई व की जाने वाली गतिविधी जिओ मेंपिंग, पॉलीथीन प्रतिबंध, उपभोक्ता प्रभार, प्रसंस्करण केन्द्रो का संधारण एवं रख रखाव, वैज्ञानितक लैंडफीट आदि की सिलसिलेवार समीक्षा की।

बैठक में उन्होने निर्देशित किया कि स्वच्छता संबंधी शिकायत नागरिक स्वच्छता एप या 14420 पर दर्ज करायें इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि नागरिक इसका अधिक से अधिक उपयोग करें तथा शिकायत का निराकरण 24 घन्टे में किया जाये। भवन निर्माण के दौरान निकलने वाली ईंट, गिट्टी, मुरम आदि नागरिक नगर निगम के माध्यम से उठवाय इस हेतु फोन नम्बर जारी किया जाये व इसके लिये दर निर्धारित की जाकर प्रस्तुत की जाये।

उन्होने निर्देशित किया कि एसटीपी प्लॉट के ट्रीटेड पानी का उपयोग भवन निर्माणकर्ता भवन निर्माण में उपयोग करें इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये व इसके लिये दर निर्धारित की जाकर प्रस्तुत की जाये।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किये जाने हेतु उन्होने अभियान चलाने व दुकानें सील करने की कार्यवाही के निर्देश दिये। बल्क वस्ट जनरेटर अपने संस्थान में ही गीले कचरे से खाद बनायें इसके लिये होटल, मैरिज गार्डन आदि संचालकों की बैठक 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट में बैठक आयोजित की जाये। उन्होने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अपने–अपने घरों में होम कम्पोस्टिंग करने के निर्देश दिये।

शहर में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाये जाने, दिन में सफाई मित्र कार्य करते नहीं पाये जाने व उनके सफाई का रूट व एरिया निर्धारित नहीं किये जाने पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम ने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया साथ ही उन्होने झोन प्रभारी व दरोगा को भी निर्दशित किया कि जब घर–घर से कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है तो शहर में कचरा एवं गंदगी क्यों दिखाई दे रही है 3 दिवस में अपनी–अपनी व्यवस्था में सुधार कर लें अन्यथा झोन प्रभारी एवं दरोगाओं पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने बैठक में निर्देशित किया कि सफाई मित्रों की उपस्थिति प्रत्येक वार्ड में बायोमैट्रिक फेस रिडिंग मशीन से दर्ज किये जाने के निर्देश दिये। वार्डो में सफाई कार्य के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त पर्यवेक्षकों निर्देशित किया कि वे वार्डो में प्रातः 6 से 8 बजे तक भ्रमण कर सफाई मित्रों की उपस्थिति व दरोगा को सुपरवाईज

करें तथा स्वच्छत संबंधी कार्य की रिपोर्ट प्रतिदिन 8 बजे प्रस्तुत करें। उन्होने निगम आयुक्त श्री झारिया को भी निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन 2 घन्टे भ्रमण कर स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करें।

उन्होन अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि शासकीय कर्मचारी में वह पावर होती है जो किसी ओर में नहीं होती यदि आप सिर्फ यह ठान लें की मुझे अपने शहर के लिये कुछ अच्छा करना है, यह शहर आपका अपना शहर है आपको यहीं रहना है इसलिये अपने शहर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनायें। उन्होने कहा कि ऐसा कार्य करके दिखाऐं की नागरिक स्वंय कहे कि शहर में स्वच्छता में बदलाव हुआ है।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखापाल श्री जगदीश पांचाल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पो. सिंह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, उपयंत्री सर्वश्री अनवर कुरेशी, सुहास पंडित, ब्रजेश कुशवाह, मनीष तिवारी सहित झोन प्रभारी, नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

उद्यानों एवं स्मारकों की देखरेख हेतु बनाये नागरिक समूह

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शहर में स्थापित महापुरूषों की प्रतिमा स्थल व उद्यानों देख रेख एवं साफ सफाई हेतु पृथक–पृथक नागरिक समूह बनाये जाकर साफ–सफाई रखी जाकर नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता लाई जा रही है।

शहर में स्थापित जवाहर लाल नेहरू, डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, बापू उद्यान एवं उसमे स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा एवं रविन्द्रनाथ टैगोर प्रतिमा की देख–रेख व साफ–सफाई हेतु नागरिक समूहों का गठन किया जाकर **MoU** भी हस्ताक्षर करवाये गय व स्मारकों एवं उद्यानों को हमेशा साफ स्वच्छ रखा जा रहा है व समय समय पर जन जागरूकता हेतु यहां कई तरह के सफाई कार्यक्रम करवाये जा रहे हैं ।

रहवासी संघों ने गीले कचरे से खाद बनाने में दिखाई रूचि

स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 के दो रहवासी रहवासी संघ, रत्नपुरी रहवासी संघ एवं सेवा समिति (शुभम परिसर) द्वारा घर से निकलने वाले गीले कचरे से वहीं पर निगम द्वारा बनाई गई कम्पोस्ट पिट के माध्यम से खाद बनाया जा रहा है एवं कचरा संग्रहण वाहन में सिर्फ सूखा कचरा डाला जा रहा है। समय समय पर निगम की टीम वहाँ जाकर रहवासियों से चर्चा कर दैनिक रूप से आने वाली परेशानियों का निराकरण करते हैं एवं कम्पोस्टिंग से संबंधित जानकारियाँ साझा करते हैं ।

सीवरेज ट्रीटेड पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) प्रारंभ
नागरिक भवन निर्माण, सिंचाई आदि के उपयोग में नगर निगम से न्यूनतम दर पर क्रय कर सकते है ट्रीटेड पानी

रतलाम 8 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट में सीवरेज के ट्रीटेड किये गये पानी का पुर्नउपयोग (रियूज) का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड किये गये पानी का उपयोग भवन निर्माण, सिंचाई, उद्यान आदि के उपयोग के लिये नगर निगम से न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते है। नगर निगम द्वारा इस पानी का उपयोग छिड़काव, उद्यान सहित अन्य कार्यो में किया जा रहा है।

नगर निगम के विभिन्न करों से 21.57 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 08 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 फरवरी मंगलवार को कुल राशि रूपये 21,57,645/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 08 फरवरी मंगलवार को संपत्तिकर शिविर से 76766, कार्यालय 1367960, वसूली दल 270594 कुल 1715320, जलकर शिविर 41440, कार्यालय 145835, वसूली दल 95250 कुल 282525, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 40864 व वसूली दल 40524 कुल 81388, लायसेंस 4530, लीजरेंट 63082, कम्पाउडिंग 10800 इस तरह कुल राशि रूपये 21,57,645/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

प्रताप नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 67.82 लाख व जलकर 15.59 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 08 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर

98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/– व जलकर 1,67,280/–, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/– व जलकर 76,625/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/– व जलकर 37,520/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयींन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

8 फरवरी को 1.79 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 08 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 08 फरवरी मंगलवार को 1.79 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

08 फरवरी मंगलवार को डम्पर से 22715, ट्रेक्टर से 13485, काम्पेक्टर सूखा कचरा 21975, काम्पेक्टर गीला कचरा 12425, डम्पर नाला मलबा 104150, मैजिक सूखा 2275 व मैजिक गीला 2245 किलो इस तरह कुल 179270 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

रतलाम 08 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित

करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 08 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 08 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 08 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के

सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 08.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.